न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 390 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 मघाराम पुत्र द्वारकाराम जाति भील निवासी सोमाणियों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर 2 जामादेवी पत्नी भंवराराम 3 बुधाराम 4 भभूताराम पिसरान रूगाराम 5 मथरीदेवी पत्नी दुरगाराम 6 हडमानराम पुत्र भंवराराम जाति भील निवासी सोमाणियों की ढाणी गेहूं तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 श्री सुनिल के. मेराजा, वकील प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 26/10/23

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 509 रकबा 8.5389 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना कोई जाचं किये गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का मघाराम नाम इन्द्राज करना था। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम भगाराम पुत्र द्वारकाराम का नाम अंकित है, प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना दस्तावेजी सही नाम मघाराम पुत्र द्वारकाराम अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी का नाम राशनकार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आईडी कार्ड में भी प्रार्थी का नाम मघाराम पुत्र द्वारकाराम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता है। लिहाजा मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 509 रकबा 8.5389 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का गलत नाम भगाराम पुत्र द्वारकाराम का नाम हटाते हुए प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मघाराम पुत्र द्वारकाराम अंकित करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा मतदाता आधार कार्ड व पैनकार्ड प्रार्थी का तस्दीकसुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 509 रकबा 8.5389 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम भगाराम पुत्र द्वारकाराम के स्थान पर मघाराम पुत्र द्वारकाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गेहूं पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 509 रकबा 8.5389 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम भगाराम पुत्र द्वारकाराम के स्थान पर मघाराम पुत्र द्वारकाराम किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/10/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी